



माँ शक्तिभूमि विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वांका, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-247120)

G20

प्रधानमंत्री

Website- msuniversity.ac.in

Email - dyregistrar@msuniversity.ac.in

पंक्तिका: ६५७ /एक०/एम०एस०य०/२०२४-२५

दिनांक: २२/०७/२०२४

लग्न में,

01. समरत प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध माँ शक्तिभूमि विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
02. शैक्षणिक समन्वयक्।
विश्वविद्यालय, परिसर।

विषय:- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक Council of Science & Technology UP के संलग्न पत्र सं. CST/D-319 दिनांक 19.06.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि Council of Science & Technology UP का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। परिषद की मुख्य गतिविधियों में अनुरांथन एवं विकास संबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, नवाचार संबंधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और हस्तांतरण, एस0एंड0टी० संचार और लोकप्रियकरण, और राज्य में प्लैनेटेरिया और विज्ञान पार्क का विकास शामिल हैं यौद्धिक संपदा अधिकार (आई०पी०आर०) समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं इसलिए, इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कार्यान्वयन तत्र की आवश्यकता है। एक जीवंत नवाचार संस्कृति के रूप एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को अपने ज्ञान और नवाचारों की तत्काल रक्षा करने की आवश्यकता के दृष्टिगत Council of Science & Technology UP के द्वारा एक पेटेंट सूचना केन्द्र स्थापित किया है। जिसके उद्देश्य निम्नवत् है।

01. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।
02. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक/शोध संस्थानों, सरकारी विभागों, उद्योगों एवं नवप्रवर्तकों को पेटेंट सर्च के सुविधा उपलब्ध कराना।
03. अन्येषकों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना।
04. पेटेंट सूचना विश्लेषण आधारित नवीन शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्श देना।

अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप Council of Science & Technology UP के उद्देश्य के अनुरूप सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर में बौद्धिक संपदा अधिकार (आई०पी०आर०) स्थापन करना सुनिश्चित करें, जिससे महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर संस्थानों द्वारा दायर/प्रदत्त पेटेंट, और डिजाइन ट्रेडमार्क और पंजीकृत जी०आई० के बारे में जानकारी परिषद को उपलब्ध कराई जा सकें।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

01. विज्ञान एण्ड प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश विज्ञान भवन, ९ नवी उल्लाह रोड लखनऊ 226018।
02. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
03. वित्त अधिकारी।
04. विश्वविद्यालय वेबसाइट मेनेजर/प्रभारी।
05. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव



Scanned with OKEN Sca

473

VCO/164
09/07/24

Register

(66)



Council of Science & Technology, U.P.

(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)

Vigyan Bhawan, 9, Nabiullah Road,

Lucknow - 226 018

कुलपति

9/7/24

600

D.R.

पत्रावली में प्रकृति

अंकर।

9.7.24

गुरु D.R.O
मुख्य
10.7.24

39/2015/3012

10.7.24
D.Y. Regis-Dar

Ref. No: CST/D- 319

Date: 19.6.2024

Subject: Patents Filed/Granted by the University/Institution.

Dear Sir,

As you are aware, Science and Technology, with its modern tools, must provide a robust foundation for the endeavors of the State Government. The Council of Science and Technology, Uttar Pradesh (CSTUP), is an autonomous body under the Department of Science and Technology, Government of Uttar Pradesh. The primary aim of the Council is to promote the overall development of Science and Technology in the State. The Council's main activities include R&D Promotion, Biotechnology, Innovation Promotion, Intellectual Property Rights, Technology Upgradation and Transfer, S&T Communication and Popularization, and the development of Planetaria and Science Parks in the State.

Intellectual Property Rights (IPR) are essential for the economic, cultural, and social development of society. Therefore, a strong implementation mechanism is required for the protection of these rights. Uttar Pradesh, as an emerging economy with a vibrant innovation culture, urgently needs to protect its knowledge and innovations. Without a proper IPR framework, commercializing these innovations would be challenging.

CSTUP has established a Patent Cell (see enclosed Patent Cell Guidelines). Considering IP as an intangible asset, CSTUP provides funds for establishing IPR Cells in various Institutes/Universities in the State. Additionally, to discuss the role of innovation and creativity and demonstrate how the IP system drives technological innovation, the Council regularly organizes training and awareness programs in different Institutes/Universities of the State. To protect innovations by Grass Root Innovators of the State, the Council also covers the fees for filing patents for these innovations (see enclosed Innovation Guidelines). You are requested to ensure the establishment of IPR Cells in affiliated colleges as well.

IPR provides a balance of rights and obligations for creators and users of innovations. In view of this, it is essential to have a record of the total number of

63. The Vice Chancellor

Maa Shkumbhari University
Punwarka, Saharanpur,
Uttar Pradesh 247120



Scanned with OKEN Scanner

IPR provides a balance of rights and obligations for creators and users of innovations. In view of this, it is essential to have a record of the total number of patents filed/granted and the registration of designs, trademarks, and GIs at the Council, as it serves as the nodal center of the Patent Cell for the State. Therefore, you are requested to provide information regarding the patents filed/granted, and designs, trademarks, and GIs registered by your esteemed University/Institution and your affiliated colleges over the past five years. Please submit this information in the enclosed format by June 30, 2024.

With regards,


(Narendra Bhooshan, IAS)
Director General

All Vice Chancellors of Universities
(see attached list)

Details of the Patents filed/Granted and Design, Trademark and G.I. registered

S.No	Details	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	No. of Patents Filed					
2	No. of Patents Granted					
3	No. of Design Registered					
4	No. of Trademark Registered					
5	No. of G.I. Registered					

पेटेण्ट सूचना केन्द्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत एक स्वातंशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। परिषद का मुख्य उददेश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। परिषद द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध परियोजना का वित्त पोषण, नवप्रवर्तन, प्रौद्योगिकी हस्तानान्तरण, जैव प्रौद्योगिकी उन्नति एवं विकास, नक्षत्रशालाओं एवं विज्ञान पार्कों का संचालन एवं विकास, विज्ञान लोकप्रियकरण तथा बौद्धिक सम्पदा संरक्षण आदि क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने के उददेश्य से परिषद में पेटेण्ट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी।

पेटेण्ट सूचना केन्द्र के उददेश्य निम्नवत है :-

- i. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के तिष्य में जागरूकता उत्पन्न करना।
To create awareness about protection of Intellectual property rights in the state.
- ii. प्रदेश में रिधित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक/शोध संस्थानों, सरकारी विभागों, उद्योगों एवं नवप्रवर्तकों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।
To provide patent search facility to innovators, universities, educational/ research institutions, government departments and industries situated in the state.
- iii. अन्येष्ठों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना।
To guide the inventors about protection of intellectual property rights.
- iv. पेटेण्ट सूचना प्रिशलेपन आधारित नई शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्श देना।
To suggest new Research & Development programmes based on the analysis of patent information.

पेटेण्ट सूचना केन्द्र के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों का सम्पादन निम्न नियमों के आलोक में किया जायेगा :—

1. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के विषय में जागरूकता हेतु परिषद द्वारा प्रदेश में स्थित शैक्षिक संस्थानों, शोध संस्थानों/प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी संस्थानों, सरकारी विभागों/उपकरणोंआदि में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।
2. जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन परिषद द्वारा स्वयं अथवा प्रदेश में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, शोध संस्थानों/प्रयोगशालाओं, तकनीकी संस्थानों एवं क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों आदि के माध्यम से किया जायेगा।
3. जागरूकता एवं बौद्धिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजन हेतु परिषद द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप रेखा तथा वित्तीय व्ययभार का निर्णय परिषद द्वारा किया जायेगा। यदि कार्यक्रम पर किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किया जाता है तो इस धनराशि का यहन आयोजक संस्था द्वारा किया जायेगा।
4. कार्यक्रम में प्रतिभागियों को यदि कोई प्रिन्टेड मेट्रेरियल अथवा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर परिषद का नाम, लोगो एवं परिषद की स्पॉन्सरशिप का उल्लेख प्रिन्ट होना आवश्यक है।
5. कार्यक्रम आयोजन के 03 माह के भीतर परिषद की वित्तीय सहायता से जिस भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, शोध संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा कार्यक्रम कराया गया है, उसे कार्यक्रम की संक्षिप्त भौतिक रिपोर्ट (प्रारूप संलग्नक-1) तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रारूप संलग्नक-2) परिषद को प्रेषित करना होगा। भौतिक रिपोर्ट के साथ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभागियों का फीडबैक (प्रारूप संलग्नक-3) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
6. बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद द्वारा प्रदेश में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, शोध संस्थानों/प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी संस्थानों आदि में बौद्धिक राम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठ (IPR Cell)जा गठन भी किया जायेगा। प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु परिषद द्वारा ₹1.00 लाख की सीमा तक का

अनुदान एक बांर हीदिया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग इन्फारेक्चर एवं कन्यूमेबल मदों में किया जायेगा। इन्फारेक्चर मद के अन्तर्गत कम्प्यूटर सिस्टम/प्रिन्टर/बौद्धिक सम्पदा संरक्षण से सम्बन्धित साफ्टवेयर एवं फर्नीचर का क्य तथाकन्यूमेबल मद के अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा संरक्षण से सम्बन्धित पुस्तकोंका क्य करनेतथा प्रिन्टर मेटेरियल (ब्रोशर, पम्पलेट इत्यादि)छपवाने के कार्य किये जा सकें। परिषद द्वारा प्रेषित धनराशि का व्यय सम्बन्धित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. परिषद के सहयोग से गठित बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठके उद्देश्य निम्नवत होंगे :-

- i. शैक्षिक/शोध तथा अन्य सम्बन्धितमें बौद्धिक सम्पदा संरक्षण जागरूकता उत्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन।
 - ii. बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु व्याख्यान कराना।
 - iii. संस्थान के संकाय सदस्यों/शोधकर्ताओं को बौद्धिक सम्पदा संरक्षण विशेषतः पेटेण्ट फाइलिंग हेतु मार्गदर्शन देना।
 - iv. बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न किये जाने हेतु डिजीटल कन्टेन्ट विकसित किया जाना। विकसित डिजिटल कन्टेन्ट तथा उपलब्ध कन्टेन्ट को विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रसारित किया जाना।
 - v. पेटेण्ट सूचना विश्लेषण आधारित नवीन शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु संकाय सदस्यों/शोधकर्ताओं को परामर्श देना।
8. परिषद द्वारा समय-समय पर बौद्धिक सम्पदा संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। परिषद के सहयोग से गठित बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठों के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रम कराये जाने हेतु परिषद द्वारा इन प्रकोष्ठों को प्राथमिकता दी जायेगी।
 9. परिषद से धनराशि प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान को 06 माह के भीतर प्रकोष्ठ की रथापना कर परिषद को उपयोगिता प्रमाणक, क्य की गयी सामग्री की सूची (संलग्नक प्रारूप-4 एवं 5) परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी कारण से 6 माह में प्रकोष्ठ की रथापना एवं आवश्यक क्य की कार्यतात्री

को सूचित किये जाने का दायित्व प्रकोष्ठ का होगा। परिषद द्वारा स्वीकृत धनराशि में से कन्ज्यूमेबल कार्यों पर 25 प्रतिशत से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु इन्फास्ट्रक्चर एवं कन्ज्यूमेबल मदों में यदि परिषद द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसका वहन संस्थान द्वारा स्वयं किया जायेगा।

10. परिषद द्वारा किसी भी इन्चेन्टर को पेटेन्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पेटेन्ट सर्च की सुविधा ग्रासर्लट इन्नोवेटर को निःशुल्क तथा अन्य सभी से पेटेन्ट सर्च हेतु रु.1000/- प्रति इन्वेंशन (रुपये एक हजार मात्र) के शुल्क पर उपलब्ध करायी जायेगी। यह शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/नेफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. यदि पेटेन्ट सर्च करने के उपरान्त किसी ग्रासर्लट इन्नोवेटर का इन्वेंशन पेटेन्ट के योग्य पाया जाता है तो परिषद के इन्नोवेशन सेल को रेफर किया जायेगा। ग्रासर्लट इन्नोवेटर के अतिरिक्त अन्य किसी का कोई इन्वेंशन पेटेन्ट के योग्य पाया जाता है तो उसे पेटेन्ट सूचना केन्द्र द्वारा TIFAC/NRDC/SIIC, IIT Kanpur इत्यादि में से किसी भी संस्थान को संस्थान तथा इन्नोवेटर की सहमति के अनुसार वैल्यू एडीशन तथा पेटेन्ट फाइल किये जाने हेतु अग्रसारित किया जा सकता है। परिषद द्वारा इस कार्य हेतु कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
12. कोई भी पेटेन्ट आवेदक परिषद द्वारा सुझाये गये संस्थान में जाने के लिए बाध्य नहीं होगा। पेटेन्ट आवेदक अपना पेटेन्ट किसी अन्य संस्था/पेटेन्ट एजेन्ट के माध्यम से भी करा सकता है। परिषद द्वारा इस कार्य हेतु कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
13. परिषद में स्थापित पेटेन्ट सूचना केन्द्र पेटेन्ट के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, पेटेन्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराता है तथा पेटेन्ट आवेदकों का मार्गदर्शन करता है। पेटेन्ट फाइलिंग का कार्य एक तकनीकी एवं विधिक कार्य है। किसी भी पेटेन्ट आवेदक का पेटेन्ट तथा अन्य आई.पी.आर. जैसे-कापी राइट, जी.आई., ट्रेड मार्क, डिजाइन इत्यादि फाइल करने तथा पेटेन्ट फाइल करने से संबंधित अन्य कार्य जैसे-फर्ट एक्जामिनेशन रिपोर्ट का उत्तर तैयार करना इत्यादि का दायित्व परिषद का नहीं होगा।

14. पेटेण्ट सूचना केन्द्र पेटेन्ट से संबंधित सूचना के विशलेषण के आधार पर आवश्यकतानुसार नवीन शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु प्रामाण्य देगा।
15. पेटेण्ट सूचना केन्द्रके सफल एवं निर्बाध संचालन तथा इस क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों की जानकारियां प्राप्त करने हेतु केन्द्र से सम्बन्धित कार्मिक समय-समय पर देश की विभिन्न सम्बन्धित संस्थानों का भ्रमण करेगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित सेमिनार/वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेगें।

प्रारूप -1

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम की भौतिक रिपोर्ट।

1. सीएसटी, यू०पी० स्वीकृत पत्र संख्या एवं दिनांक।
2. स्वीकृत धनराशि। रु.....
3. कार्यक्रम का शीर्षक।
4. आयोजक/संस्था का नाम व पता।
5. आयोजन की तिथि एवं अवधि।
6. आयोजन स्थल।
7. विषय—विशेषज्ञों का नाम, पदनाम एवं संख्या।
8. कुल प्रतिभागियों की संख्या।
9. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अतिथियोंका विवरण, यदि आमंत्रित किये गये हों।
10. कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटोग्राफ (न्यूनतम 05, अधिकतम 10)
11. समाचार पत्रों में कार्यक्रम सम्बन्धित प्रकाशन की कटिंग (ए4 साइज पेपर पर)।
12. कार्यक्रम से सम्बन्धित उपस्थिति तात्कालीन की प्रति (क्रम संख्या, प्रतिभागी का नाम, संस्था, मोबाइल नं०, पता, हस्ताक्षर)।
13. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों में न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रतिभागियों का फीडबैक।
14. कार्यक्रम में प्रतिभागियों को दिये जाने वाले प्रतिभागिता प्रमाण—पत्र की एक प्रति संलग्न करें।
15. उपलब्ध कराये गये प्रिन्टेड मेट्रेसियल की प्रति।

आयोजक/कार्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर

वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी

हेड ऑफ इन्सटीट्यूट के हस्ताक्षर

Forwarded

Signature of Forwarding Authority

Designation.

नोट: भौतिक रिपोर्ट उपरोक्त फारमेट में संरक्षा के लैटरहेड पर दिया जाना होगा।

प्रारूप -2

वैधिक सम्पादा संरक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणक।

1. सीएसटी, यू०पी० स्वीकृत पत्र संख्या एवं दिनांक।
2. कार्यक्रम का शीर्षक।
3. आयोजनकर्ता।
4. स्वीकृत धनराशि।
5. आयोजन की तिथि एवं अवधि।
6. आयोजन स्थल / संस्था।
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० से स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोग / अवशेष का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	मद	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
योग				

उपरोक्त के साथ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मदवार व्यय हेतु प्राप्त की गयी धनराशि का उपयोग परिषद के ही कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था में किया गया है।

आयोजक / कार्यक्रम संगचयक के हस्ताक्षर

विल्ल अधिकारी / रजिस्ट्रार / सक्षम अधिकारी
हेड ऑफ इन्स्टीट्यूट के हस्ताक्षर

Forwarded

Signature of Forwarding Authority

Designation.

नोट: उपयोगिता प्रमाण पत्र उपरोक्त फारमेट में संस्था के लेटरहेड पर दिया जाना होगा।

प्रारूप-3

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित फीडबैक।

1. प्रतिभागी का नाम
 2. प्रतिभागी का व्यवसाय
 3. संस्थान का नाम
 4. कक्षा / पदनाम
 5. मोबाइल नम्बर
 6. ईमेल आईडी.
 7. पता
 8. कार्यक्रम की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई।
 9. व्याख्यान की गुणवत्ता (0 से 5 अंक तक)
 10. क्या कार्यक्रम में जलपान की व्यवस्था थी (हाँ / नहीं)।
 11. कार्यक्रम की उपयोगिता (0 से 5 अंक तक)
 12. क्या कार्यक्रम में प्रिन्टेड मेट्रियल उपलब्ध कराया गया (हाँ / नहीं)।
 13. क्या कार्यक्रम के उपरान्त प्रतिभागिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया / जायेगा (हाँ / नहीं)
 14. कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से आपको क्या लाभ हुआ

15. अन्य कोई सूझाव।

हस्ताक्षर

प्रारूप -4

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

1. सीएसटी, यू०पी० स्वीकृति पत्र संख्या एवं दिनांक।
2. स्वीकृति धनराशि।
3. संस्था का नाम एवं पता।
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० से स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोग/अवशेष का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	मद	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	अवशेष धनराशि
1	इन्फास्ट्रक्चर			
2	कन्यूमेल			
योग				

उपरोक्त के साथ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मदवार व्यय हेतु प्राप्त की गयी धनराशि का उपयोग बौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापनाहेतु किया गया है।

इंवार्ज पेटेन्ट संल के हरताक्षर

वित्त अधिकारी/रजिस्ट्रार/सक्षम अधिकारी

हेड ऑफ इन्स्टीट्यूट के हरताक्षर

Forwarded

Signature of Forwarding Authority

Designation.

नोट: उपयोगिता प्रमाण पत्र उपरोक्त फारमेट में रांथा के लेटरहेड पर दिया जाना होगा।

प्रारूप -5

लौद्धिक सम्पदा संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु क्य की गयी सामग्री की सूची

कठ सं	इन्फास्ट्रक्चर मद में व्यय की गयी धनराशि		कन्ज्यूमेबल मद में व्यय की गयी धनराशि	
	सामग्री	धनराशि	सामग्री	धनराशि

इंचार्ज पेटेन्ट सेल के हस्ताक्षर

वित्त अधिकारी / रजिस्ट्रार / सक्षम अधिकारी

हैड ऑफ इन्सटीट्यूट के हस्ताक्षर

Forwarded

Signature of Forwarding Authority

Designation.

गोट: उपरोक्त सूची उक्त फारमेट में संरक्षा के लेटरहेड पर दिया जाना देंगा।

निर्णयः

कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: प्रशासन खण्ड)

मद सं.114.22

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

निर्णयः

कार्यकारिणी समिति द्वारा बौद्धिक सम्पदा संरक्षण गाइडलाइन्स/मार्ग-निर्देशिका पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि परिषद द्वारा प्रतिवर्ष पेटेन्ट सर्व/पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन/कॉर्पोरेशन/ट्रेडमार्क इत्यादि फाइल कराये जाने की संख्या का निर्धारण कर लिया जाये जिससे इस कार्यक्रम की सार्थकता का पता चल सके।

(कार्यवाही: डॉ० राजेश गंगवार, संयुक्त निदेशक)

मद सं० 114.23 आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष: 2022–23 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण–चालानी प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 प्रस्तावित जनपदों में 01–01 चार सप्ताह का तकनीकी प्रशिक्षण हेतु @रु2.00 लाख प्रति जनपद, प्रति कार्यक्रम की दर से कुल रु20.00 लाख की धनराशि हेतु के अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः

कार्यकारिणी समिति द्वारा परिषद की विभिन्न गतिविधियों पर विचार–यिमर्श किया गया तथा यह याया गया कि “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण” मद से सन्दर्भित कार्यों का समावन अन्य विभागों द्वारा किया जा रहा है जिसके दृष्टिगत परिषद में इसका संचालन अव प्रासांगिक नहीं रह गया है। अतः इस मद में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

मद सं० 114.24

प्रशासन खण्ड/ अधिष्ठान

मद सं० 114.24.01

परिषद कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों की भौति कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णयः

कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया।

(कार्यवाही: प्रशासन खण्ड)

मद सं० 114.24.02

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० के कार्मिकों के अंशदायी निर्वाह निधि में जमा धनराशि पर शासन द्वारा समय–समय पर लागू व्याज दरों के समतुल्य व्याज की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार विनियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

४





प्रधानमंत्री संप्रदायकृति



नवप्रवर्तन केन्द्र
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ. प्र. शासन)

1

तन ग्रांत्साहन समान समारोह 20
दिनांक 14-12-2016



अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

नवप्रवर्तन केन्द्र

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन)

विज्ञान मयन, 9 नवीउल्लाह रोड, सहूज कुण्ड पार्क, लखनऊ-226 018

Ph.: 0522-2202452, 2284819 Fax : 2611793

Website : www.dstup.gov.in/CST, E-mail : cstupinnovation@gmail.com

2

नियोजन अनुभाग-1,
संख्या: 43/2015/1218/35-1-2015/2/1(29)/2015
दिनांक: दिसम्बर 07, 2015
कार्यालय ज्ञाप

राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना को श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

राज्य इनोवेशन सेल की स्थापना नियोजन विभाग के दीर्घकालीन योजना प्रभाग में की जाती है तथा यह इनोवेशन सेल, राज्य इनोवेशन परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या : 43 / 2015 / 1218 / (1) / 35-1-2015. तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, माझे मुख्यमंत्री, उप्रेषण शासन।
2. निजी सचिव, माझे राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर / निजी सचिव, मुख्य सचिव, उप्रेषण शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उप्रेषण शासन।
5. औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उप्रेषण शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उप्रेषण शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उप्रेषण।
8. समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उप्रेषण।
9. निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
11. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान / अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद / अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

नियोजन अनुभाग-1,
संख्या: 45/2015/1219/35-1-2015/2/1(29)/2015
दिनांक: दिसम्बर 07, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्य इनोवेशन कोष की ₹ 50.00 करोड़ की धनराशि का वितरण श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

विभाग	धनराशि (₹ करोड़ में)	इनोवेशन परियोजनायें जिनके लिये धनराशि दी जानी है
क—नियोजन विभाग	40.00	सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश के 75 जनपदों में (₹. 50.00 लाख प्रति जनपद)* इनोवेशन से संबंधित परियोजनाओं के लिये तथा ₹ 10.00 लाख से ऊपर की असंगठित क्षेत्र की परियोजना के लिये, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू. लखनऊ द्वारा इनोवेशन सेल को प्रस्तुत की जायेगी।
ख—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग / परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	5.00	असंगठित क्षेत्र के अकुशल बेरोजगार, शिल्पकार, किसान, कारीगर, मिस्त्री, जन-सामान्य लोग, विद्यार्थी तथा ऐसे लोग जो नौकरी पेशा से न जुड़े हैं, संगठित क्षेत्र जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि पाठ्यक्रमों से न जुड़े हैं, के ₹ 10.00 लाख के नीचे की परियोजनाओं के लिये।
ग—प्राविधिक शिक्षा विभाग / डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ	5.00	लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगार/व्यक्तिगत/समूह से संबंधित इनोवेशन/नवीन प्रयोगों के लिये डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ द्वारा गठित इन्वेशन सेन्टर की मदद से किये जाने वाले प्रयोगों के माध्यम से ₹ 10.00 लाख के नीचे के प्रस्तावों के लिये।

- *1. समस्त धनराशि ₹ 40.00 करोड़ नियोजन विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी।
- 2. उन जनपदों की धनराशि जो अच्छे कार्य नहीं करेंगे उन्हें अच्छे कार्य करने वाले जनपदों में वितरित कर दी जायेगी या ₹ 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं जो राज्य इनोवेशन सेल के माध्यम से राज्य इनोवेशन परिषद को प्रस्तुत की जायेगी उनमें राज्य इनोवेशन सेल द्वारा वितरित कर दी जायेगी।
- 3. सुशासन के क्षेत्र में जिले स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य इनोवेशन सेल द्वारा नियोजन विभाग में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण कराया जायेगा, तत्पश्चात् समिति के अनुमोदनोपरान्त परियोजनाओं की अनुमोदित धनराशि राज्य इनोवेशन सेल द्वारा संबंधित जनपदों को वितरित कर दी जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संबंधित विभाग यथा—नियोजन विभाग, विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग आगामी वर्ष 2016-17 के मूल बजट में तदनुसार अनुसार व्यय करेंगे।

नियोजन विभाग में गठित राज्य इनोवेशन सेल द्वारा असंगठित क्षेत्र में (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समय-समय पर अनुश्रवण किया जायेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 45/2015/1219(1)/35-1-2015— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर / निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ.प्र. शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
8. समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ.प्र.।
9. निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग—2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग—1/2
11. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान / अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद / अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

नियोजन अनुभाग-1,

संख्या: 46/2015/1217/35-1-2015/2/1(29)/2015

दिनांक: दिसम्बर 07, 2015

कार्यालय ज्ञाप

राज्य इनोवेशन कोष के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त को श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. प्रस्तावना

गवर्नेन्स में सुधार, सेवा क्षेत्रों के उच्चीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, पर्यटन, सामाजिक सेक्टर यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर संचालन में इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनोवेशन का आशय सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक एवं महत्वपूर्ण नये विचार एवं कार्य से है, जो कि समाज एवं अर्थव्यवस्था को अपना योगदान दे सकें। इनोवेशन टेक्नालॉजी से ही नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के स्तर से भी हो सकता है। इसके अन्तर्गत नव प्रयोगों का बेहतर इस्तेमाल, नये प्रयोगों को बढ़ावा देना, उसके लिए अनुकूल माहौल बनाने व इनोवेशन करने वालों को पुरस्कृत किये जाने का उद्देश्य निहित है। उत्पादकता बढ़ाने के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग, कार्य प्रणाली के सरलीकरण एवं जनोपयोगी बनाने, लघु, मध्यम व वृहत् उद्योगों के विकास हेतु तकनीकी उन्नयन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व निर्धारण, आपदा प्रबन्धन में किये गये नवीन प्रयोग, सेवा प्रणाली को उपभोक्ताप्रद बनाने तथा विभिन्न सेक्टरों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा अन्य सुसंगत पहलुओं को भी इससे आच्छादित किया जा सकता है।

2. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों व शासन के विकास के एजेंडे को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु यह आवश्यक है कि नवीन प्रयोग को अधिक से अधिक नीतिगत ढांचे में समाहित करते हुए योजनाओं व कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाय। इसी आशय से शासन के विकास एजेंडा वर्ष 2015–16 के सूत्र संख्या—150 के अन्तर्गत एक इनोवेशन सेल/स्टेट इनोवेशन फंड की स्थापना, प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न नये विचारों को सहयोग देने तथा उन्हें आगे बढ़ाने हेतु रिप्लीकेट कराना सम्मिलित किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2015 को इस संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा राज्य इनोवेशन फण्ड की स्थापना हेतु उच्चादेश लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इंक्लूसिव विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्चाधिकार प्राप्त राज्य इनोवेशन परिषद का पुनर्गठन करने का भी निर्णय लिया गया।

3. स्कोप

इनोवेशन को सामान्यतया तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (क) लघु, मध्यम व वृहत् श्रेणी के उद्योगों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन प्रयोग।
- (ख) प्रशासन व सुशासन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, जो शासन के कार्य करने की प्रक्रिया में सुधार अथवा जन सामान्य / हित-धारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायक हो।
- (ग) असंगठित क्षेत्र में व्यक्तिगत / समूह द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित नवीन प्रयोग, जिससे या तो जनमानस की किसी विशेष समस्या का समाधान होगा अथवा ऐसे उत्ताप विकसित होंगे जो कि वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक (Commercially Viable) हों।

असंगठित क्षेत्र में इनोवेशन/नवीन प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में कोई नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले/कृषक/शिक्षित बेरोजगार अथवा तकनीकी प्रशिक्षण पाये युवा प्रायः अपने अनुभव अथवा वैज्ञानिक सोच के आधार पर नये प्रयोग हेतु परिकल्पना अथवा विचार प्रस्तुत करते हैं, परन्तु ठोस रणनीति के तहत विकसित करने के लिए एक नीतिगत समर्थन आवश्यक है। इसी प्रकार प्रशासनिक व सुशासन के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभाग, जिला प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाएं इत्यादि नवीन प्रयोगों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव तैयार करते हैं और इसके लिए भी नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि राज्य इनोवेशन फण्ड के माध्यम से उपर्युक्त तीनों श्रेणियों के इनोवेशन को आच्छादित किया जायेगा। असंगठित क्षेत्र के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्बन्धित इनोवेशन का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु समर्त नीतिगत दिशा-निर्देश सम्बन्धित विभाग यथा-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/परिषद द्वारा निर्गत किये जा सकते हैं, जिसमें ऐसे प्रस्तावों को प्राप्त करने, उनका मूल्यांकन, वित्त पोषण, अनुश्रवण, प्रभाव मूल्यांकन की व्यवस्था होगी।

4. सुशासन/प्रशासनिक सेवाएं

सुशासन/प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु इनोवेशन में निम्नलिखित मर्दें सम्मिलित होंगी जोकि संलग्नक-1 में वर्णित मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार व्यवहरित की जायेंगी।

- क. शासन व प्रशासन द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रियाओं का, सरलीकरण अथवा नवीन तकनीक (आई.टी.) के प्रयोग से नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने (Good Governance) या उत्पादकता/क्षमता/प्रभावशीलता बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- ख. लोक सेवा से जुड़े विभिन्न सेवकर जैसे-शिक्षा, विकित्सा एवं स्वारक्षण्य, पेयजल, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, अवरथापना इत्यादि। इन्हीं रामाजिक क्षेत्रों में राहभागिता बढ़ाने एवं उनको सशक्त करने सम्बन्धी नवीन प्रयोग, प्रक्रिया अथवा उत्पाद को विकसित कर उसका व्यापक उपयोग कराकर अपेक्षाकृत कम लागत से अधिक नागरिकों को बेहतर सेवाएं द्वारा पहुंचाने से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- ग. पर्यावरण एवं वनों/वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किये जाने वाले नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।
- घ. स्वच्छ एवं हरित उत्तर प्रदेश अभियान (कलीन एवं ग्रीन यू.पी.) के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्तावित नवीन प्रयोग।

5. असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र के इनोवेशन को मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ द्वारा संचालित किया जायेगा। असंगठित क्षेत्र के व्यक्तिगत/समूह द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित इनोवेशन/नवीन प्रयोग जिससे या तो जनमानस की किसी विशेष समस्या का समाधान होगा अथवा ऐसे उत्पाद विकसित होंगे जो कि वाणिज्यिक रूप से व्यवहारक (Commercial Viable) होंगे। इसके अन्तर्गत इनोवेशन के प्रस्ताव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/परिषद, उ.प्र. को प्रस्तुत होंगे जो अपने विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्त (संलग्नक-2) के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे तथा इसके अन्तर्गत इनोवेशन के बे प्रस्ताव जो ₹ 10.00 लाख से ऊपर के होंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/परिषद, उ.प्र. परीक्षणोपरान्त अनुमोदन हेतु नियोजन विभाग के इनोवेशन सेल को प्रेषित करेंगे।

6. लघु व मध्यम उद्योग

लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किये गये नवीन प्रयोग, के प्रस्ताव डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ/तकनीकी शिक्षा विभाग को प्रस्तुत होंगे जो अपने विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्त (संलग्नक-3) के अनुसार सम्पादित करेंगे तथा इसके अन्तर्गत इनोवेशन के बे प्रस्ताव जो ₹0 10.00 लाख के ऊपर के होंगे डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ/तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षणोपरान्त अनुमोदन हेतु नियोजन विभाग के इनोवेशन सेल को प्रेषित करेंगे।

7. राज्य इनोवेशन परिषद

इनोवेशन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य इनोवेशन परिषद का पुनर्गठन किया गया है। परिषद राज्य इनोवेशन कोष का संचालन करेगी व इनोवेशन की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उनकी समीक्षा करेगी। इनोवेशन परिषद का ढांचा व कार्यक्षेत्र संलग्नक-4 पर संलग्न है।

8. जिला स्तरीय समिति

सुशासन के क्षेत्र में होने वाले इनोवेशन के प्रस्ताव के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जोकि जिले से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदित प्रस्तावों को राज्य इनोवेशन सेल को प्रेषित करेंगी। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप संलग्नक-1 के बिन्दु द (iii) पर वर्णित है।

9. राज्य इनोवेशन कोष

प्रदेश में इनोवेशन/नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देने तथा इस हेतु नवीन प्रयोगों को पायलेट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने हेतु समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नियोजन विभाग में राज्य इनोवेशन कोष स्थापित किया जायेगा। इसके मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्नक-1 के प्रस्तर-3 पर वर्णित है।

10. राज्य इनोवेशन सेल

उच्चाधिकार समिति की सहायता करने एवं राज्य इनोवेशन कोष के संचालन में सहायता प्रदान करने हेतु नियोजन विभाग के दीर्घकालीन योजना प्रभाग में एक इनोवेशन सेल का गठन किया गया है। राज्य इनोवेशन कोष का संचालन राज्य इनोवेशन परिषद के दिशा-निर्देशों में किया जायेगा। कोष की धनराशि पृथक से बैंक खाता खोलकर रक्षित की जायेगी तथा इसका संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित विशेष सचिव तथा राज्य इनोवेशन सेल के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

कोष में उपलब्ध धनराशि को सामान्यतः प्रशासनिक/सुशासन तथा असंगठित क्षेत्र के द्वारा व्यक्तियों/समूहों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ से संबंधित इनोवेशन के प्रस्तावों पर निम्नलिखित मदों में व्यय किया जायेगा:-

- इनोवेशन परियोजनाओं का वित्त पोषण।
- इनोवेशन परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन।
- इनोवेशन परियोजनाओं के सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान हेतु क्रियाशील/सम्मेलन आयोजित किया जाना।
- सफल इनोवेशन हेतु पुरस्कार वितरण।
- अन्य प्रशासनिक/कार्यालय व्यय, जिसमें राज्य इनोवेशन परिषद वी बैठक, निरीक्षण एवं अनुश्रवण इत्यादि सम्मिलित हैं।

11. प्रक्रिया

इस कोष से निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त इनोवेशन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त पोषण होगा:-

- i. उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शासकीय विभाग।
- ii. मण्डलाधुक्त / जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जनपदों में प्रस्तावित नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।
- iii. उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन विभिन्न संगठन जैसे—चिकित्सा, इंजीनियरिंग कालेज / पालिटेक्निक, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।
- iv. सुशासन व शासन के वरीयता के सेक्टर में बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न गैर शासकीय संगठनों के प्रस्ताव। प्रतिवेदन यह होगा कि उक्त प्रस्ताव अगर एक जनपद से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित जनपद की जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रेषित किया जायेगा। अगर प्रस्ताव कई जनपद से सम्बन्धित है तो वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति / प्रशासनिक विभाग इसके औचित्य प्रस्तावों के परीक्षण के पश्चात् ही उसे शासन को विचारार्थ प्रेषित करेगी।
- v. प्रदेश में कार्यरत प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव।
- vi. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा भी प्रस्ताव किया जा सकता है, परन्तु यह प्रस्ताव क्रमांक— i से v में उल्लिखित संरथ के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
12. इनोवेशन के जो प्रस्ताव सुशासन के क्षेत्र में तथा ₹0 10.00 लाख से ऊपर के प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्राप्त होंगे, उनका परीक्षण राज्य इनोवेशन सेल द्वारा किया जायेगा। राज्य इनोवेशन कोष के मार्गदर्शी सिद्धान्त से प्रथम दृष्टया आच्छादित होने के पश्चात् ही उसको तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन एक समिति के द्वारा कराया जायेगा, जिसमें नियोजन व प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त दो विशेषज्ञ भी होंगे। तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात् यदि कोई कमियां पायी जाती हैं तो उसे मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तावक को वापस कर दिया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात् संस्तुत किये गये प्रस्तावों को राज्य इनोवेशन परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा परिषद उपलब्ध संसाधनों तथा इनोवेशन प्रस्तावों में गुण दोष के आधार पर वित्त पोषण हेतु निर्णय करेगी।
- 13— असंगठित क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद एवं डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू. लखनऊ को ₹0 10.00 लाख तक के प्रस्ताव अपने स्तर से विभाग द्वारा इनोवेशन के क्षेत्र में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त से कार्य क्रियान्वित किये जायेंगे। ₹0 10.00 लाख से ऊपर के प्रस्ताव राज्य इनोवेशन सेल के माध्यम से राज्य इनोवेशन परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे।
14. लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से यदि किसी तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगार व्यक्ति या समूह की कोई परिकल्पना है तथा उसको परिष्कृत करने के लिए उसके पास पर्याप्त मशीनें / उपकरण / संसाधन नहीं हैं, तो डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू. इस हेतु उन्हें अपनी स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से चयनित कर अपने इक्यूवेशन सेंटर के माध्यम से संसाधन उपयोग करने की अनुमति देंगे। इस हेतु डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू. लखनऊ अपने नीतिगत दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत निहित व्यवस्थानुसार ₹. 10.00 लाख तक के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान कर सकेंगे। इसके ऊपर के प्रस्तावों हेतु उन्होंने राज्य इनोवेशन सेल के माध्यम से राज्य इनोवेशन परिषद को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
15. राज्य इनोवेशन कोष द्वारा स्वीकृत इनोवेशन का अनुश्रवण नियोजन विभाग द्वारा समय समय पर किया जायेगा जिसके लिए इनोवेशन सेल सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। अगर किसी भी समय यह प्रकाश में आता है कि किसी परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं हो रहा है तो नियोजन

विभाग परियोजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित कर सकता है तथा उत्तर संतोषजनक प्राप्त न होने पर स्वीकृतियों को रोकते हुए परियोजना का संचालन आगे न करने की भी संस्तुति कर सकता है। ऐसी रिधिति आने पर निर्गत धनराशि की वसूली भी नियमानुसार की जा सकती है।

16. इनोवेशन परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन व ग्रेडिंग स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से कराया जायेगा। मूल्यांकन की गाइड लाइंस संलग्नक-1 के बिन्दु अ/ब पर वर्णित है। तदुपरान्त राज्य इनोवेशन के समक्ष प्रस्तुत कर यह निर्णय लिया जायेगा कि इन नवीन प्रयोगों को राज्य की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों में कैसे समाहित किया जाये। सफल नवीन प्रयोगों का राज्य स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जायेगा तथा इस हेतु सेक्टरवार कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। सफल नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु एक वार्षिक पुरस्कार योजना भी चलायी जाएगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा संलग्नक-1 के प्रस्तर 2 पर वर्णित है।

संलग्नक— यथोपरि।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या: 46/2015/1217/(1)/35-1-2015— तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, नियोजन विभाग।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
5. औद्योगिक एवं अवरस्थापना विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलाध्यक्ष, उ.प्र.।
8. समस्त सदस्य राज्य इनोवेशन परिषद, उ.प्र.।
9. निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग—2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग—1/2
11. समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान/अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव

संलग्नक-१

राज्य इनोवेशन कोष के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

प्रदेश में इनोवेशन / नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देने तथा इस हेतु नवीन प्रयोगों को पायलेट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने हेतु समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य इनोवेशन कोष स्थापित किया जायेगा। इस कोष से निम्नलिखित स्रोत से प्राप्त इनोवेशन प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त पोषण किया जाएगा :—

- i. उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न शासकीय विभाग।
- ii. मण्डलायुक्त / जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जनपदों में प्रस्तावित नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।
- iii. उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन विभिन्न संगठन जैसे—चिकित्सा, इंजीनियरिंग कालेज / पालिटेक्निक, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त नवीन प्रयोगों के प्रस्ताव।
- iv. सुशासन व शासन के वरीयता के सेक्टर में बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न गैर शासकीय संगठनों के प्रस्ताव। प्रतिबंध यह कि उक्त प्रस्ताव अगर एक जनपद से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित जनपद की जिला स्तरीय इनोवेशन समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रेषित किया जायेगा। अगर प्रस्ताव कई जनपद से सम्बन्धित है तो वह सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति / प्रशासनिक विभाग प्रस्तावों के औचित्य परीक्षण के पश्चात् ही उसे शासन को विचारार्थ प्रेषित करेगी।
- v. प्रदेश में कार्यरत प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव।
- vi. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सभूह द्वारा भी प्रस्ताव किया जा सकता है, परन्तु यह प्रस्ताव क्रमांक— i से v में उल्लिखित संस्था के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
- vii. क्रमांक i से राबकी व्यवस्थायें ₹0 10.00 लाख से ऊपर के प्रस्तावों के लिये अनिवार्य होंगी। ₹. 10.00 लाख के प्रस्तावों व्यक्तिगत / समूहों को मशीन / उपकरण व अन्य इस प्रकार के संसाधन के प्रयोग किये जाने के प्रस्तावों हेतु क्रमांक i से vi में उल्लिखित व्यवस्था के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद व डा.ए.पी. जे.ए.के.टी.यू. अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों में शामिल करेंगी।

अ. इनोवेशन के प्रस्तावों का मूल्यांकन

इनोवेशन के जो प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्राप्त होंगे उनका प्रारम्भिक परीक्षण राज्य इनोवेशन सेल द्वारा किया जायेगा। राज्य इनोवेशन कोष के मार्गदर्शी सिद्धान्त से प्रथम दृश्टया आच्छादित होने के पश्चात् ही उसको तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन निम्नलिखित गठित समिति के माध्यम से कराया जायेगा :—

- i. प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी।
- ii. इनोवेशन से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा नामित विभागाध्यक्ष।
- iii. परियोजना प्रस्ताव के आधार पर दो विशेषज्ञ, जो नियोजन विभाग द्वारा नामित किये जायेंगे।
- iv. अधिक प्रस्ताव आने पर एक से अधिक मूल्यांकन समितियां भी गठित की जा सकती हैं।
- v. मूल्यांकन समिति प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देगी—
 - i. प्रस्ताव की नवीनता (Innovativeness)।
 - ii. क्या प्रस्ताव के क्रियान्वयन में व्यापक लोकहित निहित है (Large Public Interest)।

- iii. क्या प्रस्ताव में जन समर्थयों का निराकरण लक्षित है।
- iv. परियोजना का क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप से सम्भव है।
- v. परियोजना के क्रियान्वयन की समय सीमा सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- vi. परियोजना के वित्तीय उपाशय औचित्यपूर्ण होने चाहिए और मूल्यांकन के समय अनौचित्यपूर्ण व्यय को हटाया जायेगा।
- vii. सामान्यतः इनोवेशन के प्रस्ताव ऐसे हों, जिसमें परियोजना का कुछ अंश जन सहभागिता से भी प्राप्त हो। ऐसे परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी जिस पर जन सहभागिता से परियोजना के कुछ अंश को वित्त पोषण प्रस्तावित हो।
- viii. परियोजना प्रस्ताव में मानव संसाधन के मानदेय/वेतन/निविदा की धनराशि न्यूनतम होनी चाहिए। सामान्यतः पूर्व में उपलब्ध संरक्षण व्यवस्था से ही मानव संसाधन प्राप्त होना चाहिए।
- ix. परियोजना के प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए उद्देश्य सफलता संकेतक (आबजेकिट सक्सेस इन्डीकेटर) स्पष्टव रूप से उल्लिखित हो। मूल्यांकन समिति प्रस्ताव भेजने वाले संगठन को प्रस्तुतीकरण के लिए आमन्त्रित कर सकती है।
- स. तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात अगर प्रस्तावों में कोई कमियां पायी जाती हैं तो उसे इनोवेशन सेल द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन से अनुमोदन कराकर प्रस्ताव सम्बन्धित को मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ वापस प्रेषित कर दिये जायेंगे। मूल्यांकन के पश्चात संस्तुत किये गये प्रस्तावों को राज्य इनोवेशन परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपलब्ध संसाधनों एवं इनोवेशन प्रस्ताव के गुण-दोष के आधार पर परिषद वित्त पोषण हेतु निर्णय करेंगी।
- द. स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण
- राज्य इनोवेशन कोष द्वारा स्वीकृत इनोवेशन के परियोजनाओं का अनुश्रवण नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर किया जायेगा, जिसके लिए इनोवेशन सेल सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। अनुश्रवण के दौरान ये परीक्षण किया जायेगा कि परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के अनुसार चल रहा है तथा निर्धारित मानकों के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जा रहा है।
 - अगर किसी भी समय ये प्रकाश में आता है कि किसी परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं हो रहा है व धनराशि का अपव्यय सम्भावित है तो नियोजन विभाग परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षाकृत सुधार लाने के लिए सम्बन्धित को निर्देश निर्गत कर सकते हैं व कारण बताओ नोटिस भी निर्गत कर सकते हैं। निर्देश देने के बाद भी स्थिति में सुधार न हो व कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक न हो तो नियोजन विभाग भविष्यत की वित्तीय स्वीकृतियों को रोकते हुए परियोजना का संचालन आगे न करने की संस्तुति भी कर सकेंगे, जिस पर राज्य इनोवेशन परिषद अंतिम निर्णय लेगी। ऐसी स्थिति आने पर सम्बन्धित संस्था/व्यक्तियों से पूर्व में निर्गत धनराशि की वसूली भी नियमानुसार सुनिश्चित की जा सकेगी।
 - जिन इनोवेशन परियोजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जा रहा है उनके अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी जो उस इनोवेशन को सफल बनाने हेतु मार्ग निर्देशन तथा परियोजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु हर सम्भव सहायता करेगी। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :-

- क. जिला विज्ञान कलब के समन्वयक – सदस्य
- ख. जिले स्तर पर डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ के इन्क्यूबेशन सेन्टर के प्रमुख—सदस्य
- ग. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
- घ. दो प्रतिष्ठित सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत संस्था / एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि – सदस्य
(जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के अनुमोदन से नियोजन विभाग नामित करेंगे)
- च. जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक – सदस्य
- छ. अन्य विभाग (जिनकी परियोजनाएं क्षेत्र कार्य द्वारा वित्त पोषित हैं) के अधिकारी – सदस्य
- ज. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी – सदस्य सचिव
- य. इनोवेशन परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन तथा ऐडिंग किया जाना

परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात उसके प्रभाव का आंकलन किया जाना अनिवार्य होगा, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि वह परियोजना अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में कहाँ तक सफल हुई है। इस कार्य हेतु फील्ड में जाकर परियोजना क्रियान्वयन पर होने वाले लाभ का आंकलन सम्बन्धित हित धारकों से सीधे भी ज्ञात किया जायेगा। इस कार्य हेतु नियोजन विभाग बाह्य विशेषज्ञ एजेंसियों को आबद्ध करेगी जो एक निर्धारित धनराशि में ये कार्य सम्पन्न करायेंगे। ये बाह्य एजेंसी राज्य व केन्द्र सरकार के अधीन शोध एवं शैक्षिक संस्थान भी हो सकते हैं। इस कार्य हेतु नियोजन विभाग पृथक से पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए पैनल बनायेगा व उस पैनल से ही संस्था का चयन किया जायेगा। स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन पर होने वाला व्यय भी परियोजना व्यय का भाग होगा तथा इनोवेशन कोष से ही इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

र. सफल इनोवेशन परियोजना को राज्य की नीति में समाहित किया जाना

स्वतंत्र मूल्यांकन के पश्चात प्रत्येक परियोजना की सफलता की ऐडिंग की जायेगी और साथ ही साथ यह भी संस्तुति की जायेगी कि उस सम्बन्धित नवीन प्रयोग को और प्रभावी बनाने के लिए क्या—क्या संशोधन आवश्यक है। उक्त संस्तुतियों को राज्य इनोवेशन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर ये निर्णय लिया जायेगा कि इन नवीन प्रयोगों/इनोवेशन को राज्य की विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं में समाहित (Replicate) करते हुए कैसे व्यापक बनाया जा सके। उच्च स्तर पर निर्णय होने के पश्चात सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा कि वे सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करते हुए तदनुसार नवीन प्रयोग में क्रियान्वयन के लिए बजट व्यवस्था सुनिश्चित करे। अगर नवीन प्रयोग/अनुश्रवण केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में किया जाता है तो सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग पूरा प्रकरण संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजते हुए उसे केन्द्र की नीतियों में अंगीकृत करने का प्रयास करेंगे।

ल. सफल इनोवेशन/नवीन प्रयोगों का प्रचार-प्रसार किया जाना

i. राज्य सरकार का यह भी दायित्व है कि प्रदेश में संचालित किये गये सफल जनोपयोगी इनोवेशन/नवीन प्रयोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करे, जिससे कि उसे प्रदेश द्वारा देश के अन्य राज्यों द्वारा व अन्य विभागों द्वारा भी लाभ प्राप्त किया जा सके। इस हेतु राज्य इनोवेशन परिषद के मार्ग निर्देशन में समय—समय पर सम्मेलन व कार्यशाला आयोजित की जायेगी। सम्मेलन व कार्यशाला नियोजन विभाग स्वयं भी आयोजित कर सकता है अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों या उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान, विश्व विद्यालय, तकनीकी संस्थान, चिकित्सा शिक्षा के संस्थान इत्यादि के द्वारा भी कराया जा सकता है।

ii. ये कार्यशालाएं सेक्टरवार आयोजित की जायेंगी, जिसमें सेक्टर से सम्बन्धित विशेषज्ञ शासकीय अधिकारी,

उस सेक्टर से जुड़े सामान्य नागरिक, शिक्षाविद, मीडिया इत्यादि को आमन्त्रित किया जायेगा तथा इनमें पूर्व में हुए सफल प्रयोगों का प्रस्तुतीकरण करने हेतु सम्बन्धित महानुभावों/संरथाओं को भी आमन्त्रित किया जायेगा। इस प्रकार के विचार-विमर्श के पश्चात संस्तुतियों को परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कि उसके आधार पर नीति विषयक निर्णय लेने में ठोस कार्यवाही की जा सके।

iii. इन कार्यशालाओं सम्मेलनों का औचित्यपूर्ण व्यय राज्य इनोवेशन कोष से किया जायेगा। नियोजन विभाग इस कार्य हेतु व्यय के मार्गदर्शी सिद्धान्त पृथक से निर्गत करेगा।

2. सफल नवीन प्रयोगों/इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना

सफल प्रयोग/इनोवेशन करने वाले संगठनों, व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूहों के कार्यों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने हेतु एक वार्षिक पुरस्कार योजना संचालित की जायेगी। एक वित्तीय वर्ष के पूर्ण होने व मूल्यांकित सफल प्रयोग/इनोवेशन को अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में घोषित करते हुए पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार हेतु पृथक से नियोजन विभाग एक निर्धारित तिथि तथा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव मांगेगा। ऐसे सफल नवीन प्रयोग/इनोवेशन जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया है, वह भी पुरस्कार के लिए अई होंगे। परन्तु उन इनोवेशन का प्रभाव मूल्यांकन का विस्तृत विवरण प्रस्तावों में दिया जाना आवश्यक होगा।

i. इन प्रस्तावों पर विचार हेतु सेक्टरवार समिति बनायी जायेगी। प्रत्येक समिति 4 सदस्य की होगी, जो निम्नवत होगी:-

- | | |
|--|------------|
| 1— सेक्टर से सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव | — अध्यक्ष। |
| 2— प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित एक विशेषज्ञ | — सदस्य। |
| 3— दो वाह्य विशेषज्ञ (मुख्य सचिव द्वारा नामित) | — सदस्य। |

ii. पुरस्कार भी सेक्टरवार निर्धारित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित समितियों की संस्तुति के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा इसे अनुमोदित किया जायेगा। पुरस्कार में नकद तथा प्रमाण पत्र समिलित होंगे, पुरस्कार धनराशि एवं पुरस्कार वितरण समारोहों का व्यय भी राज्य इनोवेशन कोष द्वारा जारी किया जायेगा।

3. राज्य इनोवेशन कोष

राज्य इनोवेशन कोष का संचालन राज्य इनोवेशन परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। कोष की धनराशि पृथक से बैंक खाता खोलकर रक्षित की जायेगी तथा इसका संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित विशेष सद्वित तथा राज्य इनोवेशन सेल के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

कोष में उपलब्ध धनराशि को सामान्यतः प्रशासनिक/सुशासन तथा असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों/समूहों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ से सम्बन्धित इनोवेशन के प्रस्तावों पर निम्नलिखित मद्दों में व्यय किया जायेगा:-

- इनोवेशन परियोजनाओं का वित्त पोषण
- इनोवेशन परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन।
- इनोवेशन परियोजनाओं के सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला/सम्मेलन आयोजित किया जाना।
- सफल इनोवेशन हेतु पुरस्कार।
- अन्य प्रशासनिक/कार्यालय व्यय जिसमें राज्य इनोवेशन परिषद की बैठक, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, मानदेय, यात्रा भत्ता इत्यादि समिलित है।

संलग्नक-2

उप्रोक्त नवप्रवर्तन केन्द्र की मार्गदर्शिका

प्रस्तावना

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों, तकनीकी एवं शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता उक्त रथलों में रहने वाले लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाती है जिसके कारण जहाँ शहर में रहने वाले लोगों की सृजनात्मकता एवं रचनात्मकता को प्रकट करने के लिये भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं वहीं शिक्षा की कमी एवं संसाधनों से वंचित रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के तकनीकी एवं अन्वेषकगण अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने का अवसर नहीं पाते हैं एवं उनके अन्वेषणों का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है।

राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद (NIF) द्वारा सम्पूर्ण देश में नवप्रवर्तनों को प्रोत्साहित किया जाता है। परन्तु रीमिट संसाधनों एवं दूर दराज के क्षेत्रों में नवप्रवर्तकों के पास पूर्ण जानकारी न होने के कारण अपेक्षित सहयोग नहीं हो पाता है। जिसके लिये प्रदेश स्तर पर नवप्रवर्तकों की सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. में नव प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना मार्च, 2012 में की गयी है जिससे प्रदेश स्तर पर अधिक्षित अथवा गैर संस्थागत लोगों के द्वारा विकसित अन्वेषणों, पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी खोजों या आविष्कारों को समस्याओं के निदान में उपयोग किया जा सके और रसानीय स्तर पर नव अन्वेषकों एवं स्वयंसेवी लोगों को उत्प्रेरित करने के साथ समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। उक्त कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान करने की दृष्टि से परिषद द्वारा जनपदों में स्थापित जिला विज्ञान क्लब के समन्वयकों द्वारा संबंधित जनपदों में ब्लाक स्तर पर नव प्रवर्तन जागरूकता कार्यक्रम, फ़िल्म शो आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा वर्ष 2004 से असंगठित क्षेत्र के नव प्रवर्तन हेतु किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत है –

- वर्ष 2000 से एन.आई.एफ., अहमदाबाद के साथ सहभागिता।
- वर्ष 2003 में एन.आई.एफ., अहमदाबाद द्वारा प्रायोजित नव प्रवर्तन शोध यात्रा, उ.प्र. एवं उत्तराखण्ड में भागीदारी।
- वर्ष 2004 से नव प्रवर्तन (किसान मजदूर) पुरस्कारों का वितरण।
- वर्ष 2006–07 में ज्ञान (GIAN-NORTH) के साथ सहभागिता एवं परिषद वेबसाइट से ज्ञान–नार्थ की लिंकिंग।
- वर्ष 2010 में कपार्ट (CAPART), नई दिल्ली एवं एन.आई.एफ., अहमदाबाद द्वारा आयोजित नव प्रवर्तक क्षमता विकास कार्यशाला में भागीदारी।
- मार्च, 2012 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. में नव प्रवर्तन केन्द्र की स्थापना।
- वर्ष 2013–14 से नव प्रवर्तन केन्द्र, उ.प्र. के अन्तर्गत विभिन्न नव प्रवर्तन गतिविधियों का सतत रूप से आयोजन।

नव प्रवर्तन केन्द्र की आवश्यकता एवं संभावित उपलब्धियां

1. ग्रास रुट लेवल के टेक्नोलोजिकल इन्नोवेटर्स पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धित लोगों को चिह्नित कर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनाने में सहयोगी होगा।
2. सम्भावित तकनीकी इन्नोवेटिव विचारों की सम्भाविकता को सहयोग करेगा और अगर आवश्यक होगा तो प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करेगा।
3. उपयुक्त नव प्रवर्तनों के पेटेन्ट राइट्स में सहयोग प्रदान करेगा।
4. प्रदेश में तकनीकी उद्यमिता विकसित करने में आमंत्रन की सहभागिता बढ़ाने में प्रभावी होगा।

नव प्रवर्तन केन्द्र का उद्देश्य

- समाज में रचनात्मकता और नव सृजन को प्रोत्साहित करना।
- ग्रास रूट लेबल के तकनीकी अन्वेषकों / पारम्परिक ज्ञान से सम्बन्धितों को प्रोत्साहित किया जाना।
- स्कूली बच्चों के मध्य तकनीकी अन्वेषणों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
- वैज्ञानिकों, अभियन्ताओं, शिल्प विज्ञानियों तथा डिजाइनरों से सम्पर्क स्थापित करना जिससे रथानीय नव सृजनों में सुधार व सम्वर्धन किया जा सके।
- राज्य स्तर पर नव अन्वेषकों एवं बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाना।
- राष्ट्रीय स्तर पर नव अन्वेषकों को एन.आई.एफ. अहमदाबाद द्वारा सम्मानित कराया जाना।

लक्ष्य समूह

असंगठित क्षेत्र के जन सामान्य लोग, किसान, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, परम्परागत स्वीकृत पद्धति से उपचार करने वाला, विद्यार्थी तथा ऐसे लोग, जो नौकरी पेशा संगठित क्षेत्र, व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि पाठ्यक्रम से न जुड़े हो।

नव प्रवर्तन के क्षेत्र

यंत्र / मशीनें, परिवहन के साधन, घरेलू उपयोग के सामान, जैव विविधता के सृजनात्मक उपयोग, पौधों की प्रजातियों, पशुओं व मानव के लिये हर्बल औषधि या जड़ी बूटी, ऊर्जा उत्पादन या संरक्षण के लिये उपकरण, गाँव तथा शहर में जीवन संघर्ष के दौरान उपजे नये तरीके एवं उपाय तथा ऐसे सृजनात्मक विचार जिनको व्यवहार में लाया जाना संभव हो, इत्यादि।

नव प्रवर्तन केन्द्र, उ.प्र. की प्राथमिक गतिविधियां

- प्रदेश में इनोवेशन को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं माइक्रो स्माल एवं मीडियम उद्यमों (MSMEs), आर. एप्ड डी. संस्थानों इत्यादि में इनोवेशन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन के हुए कार्यों को सूचीबद्ध करना।
- इनोवेशन करने वाले को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करना तथा उनके कार्यों का प्रचार-प्रसार।
- असंगठित क्षेत्र के नव प्रवर्तक हेतु नव प्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन
- इनोवेशन के सम्बन्ध में जन जागरण एवं जनमत तैयार करने हेतु सेमिनार, व्याख्यान, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन।
- नव प्रवर्तक स्काउटिंग गतिविधियां।
- ब्लाक स्टारीय नव प्रवर्तन जागरूकता कार्यक्रम।
- राज्य में जनपद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनीयों का आयोजन एवं नव प्रवर्तन गतिविधियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन।
- राज्य स्तरीय बाल विज्ञान माडल प्रतियोगिता।
- नव प्रवर्तकों को मार्गदर्शन एवं वित्तीय / तकनीकी सहायता।
- उपयुक्त नव प्रवर्तकों को पेटेंट / कापीराइट सुविधा प्रदान करना।
- स्कूली बच्चों के लिये तोड़-फोड़-जोड़ कार्यक्रम।
- स्कूली बच्चों के लिये अभिनव प्रोजेक्ट प्रदर्शनी प्रतियोगिता।
- बाल सृजनात्मक एवं नव प्रवर्तन दिवस (15 अक्टूबर) का आयोजन।
- अन्य स्वयं सेवी संगठनों को नव प्रवर्तन गतिविधियों से जोड़ा जाना।
- नव प्रवर्तन शोध यात्रा का आयोजन।
- उत्कृष्ट नव प्रवर्तनों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाना।

19. उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रदेश की आवश्यकतानुसार अथवा सलाहकार समिति की संस्थानुसार आधार पर अन्य गतिविधियां भी समय-समय पर शामिल की जा सकती हैं। नव प्रवर्तन के प्रस्तावों का मूल्यांकन

नव प्रवर्तन के जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनका प्रारंभिक परीक्षण, उ.प्र. नव प्रवर्तन केन्द्र, विप्रौप, उ.प्र. द्वारा किया जायेगा तथा उ.प्र. नव प्रवर्तन केन्द्र की मार्गदर्शिका के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आच्छादित होने के पश्चात ही तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नव प्रवर्तनों के प्रस्तावों पर तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति की रिपोर्ट को निम्नलिखित गठित मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति

1.	महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. (अथवा उनके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी)	अध्यक्ष
2.	निदेशकध्युख्य नवप्रवर्तन अधिकारी, (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, भारत, अहमदाबाद-380015	सदस्य
3.	निदेशक, आई.आई.टी., कानपुर-208002 (अथवा उनके द्वारा नामित नव प्रवर्तन से संबंधित अधिकारी)	सदस्य
4.	कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, (अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी)	सदस्य
5.	निदेशक, आई.इ.टी., लखनऊ	सदस्य
6.	प्राचार्य, राज्य आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ (अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., लखनऊ द्वारा नामित नव प्रवर्तन क्षेत्र के 02 विशेषज्ञ	सदस्य
8.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. लखनऊ	सदस्य
9.	प्रभारी, नव प्रवर्तन केन्द्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र., लखनऊ	सदस्य सचिव
9.	वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों एवं चिकित्सकों आदि से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञ/ सलाहकार समिति का गठन तथा मार्गदर्शिका :	

नवप्रवर्तन गतिविधि संचालन के लिये वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों एवं चिकित्सकों आदि से संबंधित विशेषज्ञ/ सलाहकार समिति का गठन परिषद द्वारा किया जायेगा जो कि प्राप्त नव प्रवर्तन प्रस्तावों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित नव प्रवर्तनों/ नव अन्वेषणों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग एवं संस्थुति प्रदान करेगी। उक्त समिति विभिन्न श्रेणियों में सर्वोत्तम अन्वेषण का चुनाव करेगी तथा अपनी रिपोर्ट परिषद को प्रस्तुत करेगी। नव प्रवर्तन केन्द्र, विप्रौप, उ.प्र. उक्त रिपोर्ट को अधिसंवादी हेतु नव प्रवर्तन के विभिन्न समितियों को प्रस्तुत करेगी।

नव प्रवर्तन विशेषज्ञ/ सलाहकार समिति का गठन प्राप्त प्रस्तावों की प्रकृति के आधार पर विशेषज्ञता के क्षेत्रों के विद्वान वैज्ञानिकों/ तकनीकीविदों/ विशेषज्ञों को निहित करते हुए परिषद स्तर पर किया जायेगा।

अधिक प्रस्ताव आने पर एक से अधिक विशेषज्ञ/ सलाहकार समितियां भी गठित हो सकती हैं। उपर्युक्त

क्षेत्रों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य क्षेत्र अथवा विन्दु से संबंधित किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी तो उसे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

- समिति प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी।
- समिति संबंधित नव प्रवर्तनों/ नव अन्वेषणों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग एवं संस्तुति प्रदान करेगी।
- समिति विभिन्न श्रेणियों में सर्वोत्तम अन्वेषण का चुनाव करेगी एवं पुरस्कारों हेतु अपनी संस्तुति नव प्रवर्तन पुरस्कार समिति को दे सकती है।
- उक्त समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह पर नव प्रवर्तन केन्द्र, वि.प्रौ.प, उ.प्र. द्वारा आहूत की जायेगी। समिति का कार्यकाल भात्र एक वर्ष का होगा।
- प्रत्येक वर्ष नव प्रवर्तन विशेषज्ञ/सलाहकार समिति के सदस्यों/संस्था का पुर्नचयन/नवीनीकरण महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. के अनुमोदनोपरांत किया जायेगा।
- समिति के सदस्यों को प्रत्येक बैठक में रु. 2000/-का मानदेय दिया जा सकता है। लखनऊ के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भाग लेने वाले विशेषज्ञों को अनुमन्यता के आधार पर थात्रा/भत्ता भी देय होगा।

नव प्रवर्तन तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति की मार्गदर्शिका

तकनीकी विशेषज्ञ/ सलाहकार समिति ऐसे नव प्रवर्तकों/ नव अन्वेषकों के उत्पादों की मूल्य सम्वर्धन हेतु आवश्यक शोध एवं विकास के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगी। मूल्यांकन समिति प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय विशेष रूप से निम्नलिखित विन्दुओं पर ध्यान देगी—

1. प्रस्ताव की नवीनता एवं मौलिकता।
2. क्या प्रस्ताव का क्रियान्वयन व्यापक लोक हित में है तथा जन समरयाओं के निराकरण में सक्षम है ?
3. क्या प्रस्ताव का क्रियान्वयन व्यावहारिक रूप से संभव है ?
4. प्रस्ताव के अन्तर्गत अपेक्षित वित्तीय अनुदान औचित्यपूर्ण है ?
5. क्या प्रस्ताव के अन्तर्गत कोई प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है ?
6. क्या प्रस्तावित नवप्रवर्तन असंगठित क्षेत्र के प्रस्तावक द्वारा प्रेषित किया गया है ?
7. नव प्रवर्तन तकनीकी विशेषज्ञ सलाहकार समिति मौलिक प्रभावी नव प्रवर्तनों को तकनीकी सहायता के साथ—साथ आर्थिक सहयोग प्रदान करने की संस्तुति करेगी जिससे नव प्रवर्तन हेतु विभिन्न इंकूवेशन गतिविधियों यथा— प्रोटोटाइप का विकास, इन्वेशन का परीक्षण, डिजाइन आप्टीमाइजेशन एवं नवाचार आधारित माडल का विकास आदि संबंधित कार्य निष्पादित किये जा सके।
8. समिति यांत्रिकी, कृषि, मानव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा एवं खादय आदि से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं परीक्षण करेगी जिसमें संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन में मार्केट सर्वेक्षण, विशेषज्ञ समूह की चर्चा, इंडस्ट्रियल कल्टर के उद्यमियों एवं प्रमुख व्यवसायियों को समिलित किया जायेगा एवं उनके सुझाव के अनुसार संबंधित नव प्रवर्तन को आवश्यक सहयोग प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
9. समिति नव प्रवर्तन उत्पादों के विस्तार, विकास एवं वैल्यू एडीशन हेतु विभिन्न शिक्षाविदों, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों से भी सहायता प्राप्त करेगी।
10. समिति नव प्रवर्तनों के संगठनात्मक नेटवर्क को सक्षम बनाने के लिए सलाह देगी एवं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडीशन और नवाचार विकास हेतु तकनीकी चर्चा करेगी।
11. समिति किसी नव प्रवर्तन को उसकी प्रकृति के आधार पर प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों/प्रयोगशालाओं का सहयोग प्राप्त करेगी और आवश्यकतानुसार फील्ड ट्रायल्स/ टेरिटिंग सुनिश्चित करेगी।
12. समिति प्राथमिक मूल्यांकन के उपरांत नव प्रवर्तन को विशेषज्ञों की राय हेतु संस्तुत कर सकती है और आवश्यकतानुसार नव प्रवर्तन को मूल्यांकित करने के लिये विशेषज्ञों की उप समिति भी प्रस्तावित कर



सकती है।

13. समिति नव प्रवर्तन/नवाचार के विकास हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी शोध एवं विकास संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमी समूहों एवं इनोवेटर के मध्य समन्वय का कार्य करेगी।
 14. समिति ग्रास रूट इनोवेटर्स हेतु संबंधित जनपदों के जिला विज्ञान कलब समन्वयक एवं स्थानीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के मध्य समन्वयक का कार्य करते हुए संबंधित नव प्रवर्तक को मार्गदर्शन प्रदान करने में आवश्यक सहयोग देगी।
 15. समिति संबंधित नव प्रवर्तन की मौलिकता, सामाजिक प्रभाव एवं मूल्य संवर्धन, कारस्ट एफेक्टिवनेस पर विचार करेगी एवं संबंधित नव प्रवर्तन/नवाचार के विकास हेतु आवश्यक संस्तुति देगी।
- स्वीकृत नव प्रवर्तनों/नवाचारों का अनुश्रवण एवं प्रभावशीलता का आकलन**

नव प्रवर्तन मूल्यांकन कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नव प्रवर्तनों/नवाचारों के प्रायोजना विकास से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन/अनुश्रवण/प्रभावशीलता का आकलन नव प्रवर्तन केन्द्र, उ.प्र. द्वारा समय—समय पर किया जायेगा। जनपदीय अनुश्रवण में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी, संबंधित विषय—विशेषज्ञ एवं समन्वयक, जिला विज्ञान कलब का सहयोग अपेक्षित होगा। अनुश्रवण एवं प्रभावशीलता का आकलन रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

जनपद स्तरीय नव प्रवर्तन/नवाचार अनुश्रवण समिति

जनपद स्तरीय स्वीकृत नव प्रवर्तनों/नवाचारों के प्रायोजना विकास से संबंधित गतिविधियों का मूल्यांकन/अनुश्रवण/प्रभावशीलता हेतु निम्नवत समिति समय—समय पर अनुश्रवण करेगी और नव प्रवर्तन में प्रायोजना विकास से संबंधित कार्यों एवं प्रगति की रिपोर्ट नव प्रवर्तन केन्द्र को प्रेषित करेगी।

1. जनपद के जिलाधिकारी – (अथवा उनके द्वारा नामित जनपद स्तरीय अधिकारी)	अध्यक्ष
2. जनपदीय प्राचार्य/निदेशक इंजीनियरिंग कालेज (प्रस्तावित इंकुवेशन सेंटर)	सदस्य
3. संबंधित विषय—विशेषज्ञ / मेंटर	सदस्य
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रतिनिधि, एम.एस.एम.ई.ज. सदस्य	सदस्य
5. समन्वयक, जिला विज्ञान कलब	सदस्य सचिव

नव प्रवर्तनों पारम्परिक ज्ञान एवं सृजनात्मक विचारों के प्रस्तावों हेतु पुरकार की योजना

नव प्रवर्तन तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति किसी नव प्रवर्तन/नवाचार को उसकी मौलिकता, उपयोगिता एवं तकनीकी विशेषता के आधार पर पुरकार हेतु संस्तुत कर सकती है। उक्त तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति की रिपोर्ट अंतिम निर्णय हेतु नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसके अतिरिक्त नव प्रवर्तन केन्द्र, उ.प्र. इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियों को अलग से भी आमंत्रित करेगा, जिसकों किसानों, दस्तकारों, मछुआरों, झुग्गीवासियों, वर्कशाप के कारिगरों, विद्यार्थियों आदि के किसी समूह या व्यक्ति या फिर रथानीय समुदायों ने विकसित किया हो। ऐसे व्यक्तियों, जो पहले से ही संगठित क्षेत्र के कार्य में रहे हैं या जिन्होंने पेशेवर शिक्षा प्राप्त की है, की प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नव प्रवर्तन की प्रकृति के आधार पर पुरकार निम्नवत विभिन्न श्रेणियों में कई प्रकार के हो सकते हैं।

यांत्रिक, परिवहन के साधन, घरेलू उपयोग के सामान, जैवविविधता के सृजनात्मक उपयोग, कृषि विधियां एवं पौधों की प्रजातियां, पशुओं या मानव के लिए हर्बल औषधि यानी जड़ी—बूटी, ऊर्जा उत्पादन या संरक्षण के लिए उपकरण गांव तथा शहर में जीवन—संघर्ष के दौरान उपजे नये तरीके एवं उपाय, सृजनात्मक विचार, जिनको व्यवहार में लागा जाना संभव हो, स्फूली बच्चों के नवप्रवर्तनात्मक विचार तथा नवप्रवर्तन

इत्यादि ।

नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों का मूल्यांकन करेगी एवं पुरस्कार के संबंध में अपनी संस्तुति प्रदान करेगी। नव प्रवर्तन तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकित नव प्रवर्तनों एवं प्राप्त आवेदनों की गुणवत्ता के आधार पर पुरस्कार निर्धारित किया जायेगा।

नव प्रवर्तन पुरस्कार वर्ष में एक बार पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर (नव प्रवर्तन दिवस) को प्रदान किये जायेंगे। नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति पुरस्कारों की संख्या एवं श्रेणियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन की संस्तुति कर सकती है। पुरस्कारों के संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा। समिति प्राप्त प्रस्तावों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी।

- नव प्रवर्तक पुरस्कार - सभी श्रेणियों में नवप्रवर्तकों को 1,00,000 रु, 50,000 रु, और 25,000 रु. पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जायेंगे तथा पांच नव प्रवर्तकों को उपयुक्त पाये जाने की दशा में समिति की संस्तुति के अनुसार रु. 10,000/- प्रत्येक को सान्त्वना पुरस्कार के रूप में दिया जायेगा। प्रत्येक सम्मानित नव प्रवर्तक को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रशस्ति पत्र, मोमेंटों एवं शाल भेंट किया जायेगा।
- स्काउट (खोजकर्ता) पुरस्कार- सर्वश्रेष्ठ तीन स्काउटों (खोजकर्ताओं) को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 50,000 रु, 25,000 रु, और 15,000 रु. प्रदान किये जायेंगे तथा दो स्काउटों (खोजकर्ताओं) को उपयुक्त पाये जाने की दशा में समिति की संस्तुति के अनुसार रु. 10,000/- प्रत्येक को सान्त्वना पुरस्कार के रूप में दिया जायेगा। प्रत्येक सम्मानित स्काउट (खोजकर्ता) को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रशस्ति पत्र, मोमेंटों एवं शाल भेंट किया जायेगा।
- मीडिया पुरस्कार - प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक-एक पत्रकार को जिन्होंने जमीनी नवप्रवर्तनों को चिह्नित करने हेतु कवर किया है और नव प्रवर्तन केन्द्र, उ.प्र. की मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, को मीडिया पुरस्कारों के लिए रु. 25,000/- के दो पुरस्कार प्रदान करने पर संस्तुति दे सकती है। मीडिया कर्मी अपने कार्य के दस्तावेजी प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।
- चुनी हुई प्रविष्टियों को जमीनी प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों एवं पारम्परिक ज्ञान के रजिस्टर में शामिल किया जायेगा।

नव प्रवर्तन प्रविष्टियां व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सादे कागज पर निम्नलिखित जानकारी के साथ अपेक्षित होगी जिसमें निम्न बिन्दुओं को समाहित किया जायेगा।

- नवप्रवर्तकों का पूरा विवरण, आजीविका एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के ब्यौरे के साथ।
- नवप्रवर्तन की उत्पत्ति।
- किस समस्या का समाधन किया ? संभावित या वास्तविक प्रभाव।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ नवप्रवर्तक का पूरा पता तथा नवप्रवर्तन का फोटो / वीडियो संलग्न होना चाहिए।
- हर्बल औषधि के साथ बनस्पति का सुखाया हुआ नमूना होना चाहिए, जिससे उसकी उचित पहचान हो सके।

प्रायोजना विकास सहयोग के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत :

नव प्रवर्तन केन्द्र के प्रस्ताव में इन्नोवेटरों के प्रोत्साहन हेतु उनके प्रस्तावों को विकसित करने में आवश्यक आर्थिक, तकनीकी एवं फिजिकल सहयोग प्रदान किया जाना निहित है जिसके अन्तर्गत इन्नोवेशन के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नवत होगी।

- नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति की संस्तुति के आधार पर परिषद द्वारा प्रशमतः ऐसे प्रस्तावों को प्रायोजना विकास सहयोग के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा सकता है जिनकी सीमा 03.00 लाख रु0 के अन्तर्गत होगी जिसकी स्थीकृति अधिकारी गहानिदेशक, विशेष, उ.प्र. होंगे।

- ऐसे नव प्रवर्तन प्रस्ताव जिन पर नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति रु. 03.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक की संस्तुति करती है, तो उक्त प्रस्ताव परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे एवं कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार संबंधित सहयोग नव प्रवर्तन हेतु प्रदान किया जायेगा।
- यदि नव प्रवर्तन मूल्यांकन, क्रियान्वयन एवं पुरस्कार समिति मूल्यांकनोपरांत किसी नव प्रवर्तन /नवाचार के विकास हेतु रु. 10.00 लाख से अधिक की संस्तुति करती है तो संबंधित प्रस्ताव समिति की संस्तुति के साथ राज्य इन्नोवेशन सेल, नियोजन विभाग, उ.प्र. को संदर्भित किया जायेगा जिस पर उ.प्र. राज्य इन्नोवेशन काउंसिल निर्णय लेने में सक्षम होगी।

प्रस्तावों में नवीनता एवं बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के संबंध में परिषद में स्थापित पेटेंट सेल का सहयोग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2000 में पेटेंट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी थी। वर्ष 2006 में इस महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा संरक्षण सूचना केन्द्र उपमद की स्थापना की गयी। इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

- प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण विशेष रूप से पेटेंट के संबंध में जागरूकता एवं समझ स्थापित करना।
- विश्वविद्यालयों, उद्यमों सरकारी शोध संस्थानों आदि को पेटेंट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पेटेंट इंफारमेंशन की एनालिसिस करना।
- नव अन्वेषकों एवं सृजकों को उनकी खोज एवं डिजाइन्स को संरक्षित कराने हेतु मागदर्शन प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थानों, शोध संस्थानों से प्राप्त आवेदनों को परीक्षण कर सर्च रिपोर्ट के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को पेटेंट फाइलिंग हेतु अग्रसारित करना।

परिषद द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए नव अन्वेषकों को उनकी खोजों की नवीनता के संबंध में पेटेंट को संरक्षित कराने में योगदान दिया जा रहा है। इस हेतु परिषद के पास राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट डाटा बेस एवं विशेषज्ञता परिषद के बौद्धिक संपदा संरक्षण केन्द्र /पेटेंट सूचना केन्द्र प्रायोजना में उपलब्ध है।

गैर संस्थागत एवं तृणमूल रत्तर के नव प्रवर्तकों के नव प्रवर्तन को पेटेंट हेतु आवेदन कराया जायेगा जिसका सम्पूर्ण खर्च उ.प्र. नव प्रवर्तन केन्द्र, विप्रौप, उ.प्र. वहन करेगा।

सफल इन्नोवेशन परियोजना को राज्य की नीति में समाहित किया जाना

नवप्रवर्तन केन्द्र द्वारा विकसित जनहित के सफल नव प्रवर्तनों/नवीन प्रयोगों को राज्य इन्नोवेशन काउंसिल, उत्तर प्रदेश को नियोजन विभाग, उ.प्र. के गाध्यम से प्रदेश की नीति में शामिल करने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित किया जायेगा।

नव प्रवर्तन इंकूवेशन / कार्यशाला की स्थापना

नव प्रवर्तन इंकूवेशन / कार्यशाला के अन्तर्गत नव प्रवर्तकों को अपने नवाचार/नव प्रवर्तनों में आवश्यक सुधार एवं संवर्धन हेतु सुविधा प्रदान की जायेगी। नव प्रवर्तकों को क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों का आवश्यकतानुसार सहयोग मेंटर के रूप में प्रदान कराया जायेगा जिसके दिशा निर्देशन में संबंधित प्रोजेक्ट के संवर्धन हेतु कार्य किया जायेगा। यह मेंटर विशेष रूप से तकनीकी संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से आमंत्रित किये जायेंगे जिनको उचित मानदेय सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत प्रदान किया जा सकता है। सफल प्रयोगों/इन्नोवेशनों को प्रदर्शनी में समिलित किया जायेगा और प्रोटोटाइप इंकूवेशन सेंटर पर रक्षित/प्रदर्शित किये जायेंगे। औद्योगिकी दृष्टि से उपयोगी नव प्रवर्तनों को चिह्नित एवं सहयोग प्रदान करने के उपरांत नव प्रवर्तन इंकूवेशन सेंटर/कार्यशाला उत्तर प्रदेश इन्नोवेशन काउंसिल द्वारा स्थापित इंकूवेशन हय के माध्यम से संबंधित उद्योगों में संबंधित नव प्रवर्तक/नवप्रवर्तकों का समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगा।

राज्य में इन्नोवेशन की दीर्घकालीन (जैसे दस-वर्षीय) योजना की तैयारी

- सफल नव प्रवर्तनों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में क्रियान्वित किया जायेगा जिसकी परियोजना लागत का अनुदान नव प्रवर्तन केन्द्र, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.) / नियोजन विभाग अथवा अन्य संबंधित उद्योगों/ संस्थानों से भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त कार्य हेतु नियोजन विभाग के मार्गदर्शन में अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी।
- अधिकाधिक लोगों को नव प्रवर्तन के क्षेत्र में आकर्षित एवं उत्साहित करने के लिये आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं अन्य मीडिया के श्रोतों के माध्यम से नव प्रवर्तन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. नव प्रवर्तनों के संबंध में प्रदेश हित एवं आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों/ कार्यक्रमों को संचालित करना एवं नव प्रवर्तन के क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय नव प्रवर्तनों के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्राप्त करना।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला विज्ञान बलब को इन्नोवेशन फैसिलिटी सेंटर के रूप में विकसित करना।
- बदशी का तालाब, लखनऊ रिथ्ट नव प्रवर्तन केन्द्र के भवन को इन्नोवेशन फैसिलिटी सेंटर, इन्नोवेशन हब, प्रदर्शन स्थल एवं कार्यशाला के रूप में विकसित करना।

इन्नोवेशन कोष की आवश्यकता

- राज्य में नव प्रवर्तन गतिविधियों का प्रचार-प्रसार एवं नव प्रवर्तक/ नव अन्वेषकों का प्रोत्साहन हेतु वित्त पोषण।
- जनपद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों, रसायनिक एवं प्रदर्शनानियों के आयोजन हेतु वित्त पोषण।
- रकूली बच्चोंके मध्य नव प्रवर्तन माडल प्रतियोगिता हेतु वित्त पोषण।
- मौलिक नव प्रवर्तनों के पेटेंट हेतु वित्त पोषण।
- नव प्रवर्तनों का प्रोडेक्ट डेवलपमेंट एवं मूल्य संवर्धन हेतु वित्त पोषण।
- नव प्रवर्तन के सम्बन्ध में जन जागरण एवं जनमत तैयार करने हेतु सेमीनार, व्याख्यान, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन हेतु वित्त पोषण।
- बदशी का तालाब रिथ्ट नव प्रवर्तन केन्द्र के भवन को इन्नोवेशन फैसिलिटी सेंटर, इन्नोवेशन इंकूवेशन हब, प्रदर्शन स्थल एवं कार्यशाला के रूप में विकसित करने हेतु वित्त पोषण।
- नवप्रवर्तन पुरस्कारों हेतु वित्त पोषण।
- नव प्रवर्तन केन्द्र में कार्यरत मानव शक्तियों के मानदेय हेतु वित्त पोषण।
- अन्य सचिवालयी/ प्रशासनिक व्यय जिसमें नव प्रवर्तन केन्द्र से संबंधित कार्यों, बैठक, निरीक्षण एवं अनुश्रवण, प्रभाव, मूल्यांकन इत्यादि हेतु वित्त पोषण।

नव प्रवर्तन के समस्त प्रकरणों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. का निर्णय अंतिम होगा। मार्गदर्शिका में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत किये जा सकते हैं।

प्राविधिक शिक्षा विभाग का मार्गदर्शी सिद्धान्त

विश्व में विकसित की जाने वाली नवीन प्रौद्योगिकी को औद्योगिक क्षेत्र में दुत गति से निरन्तर अपनाया जा रहा है। सम्प्रति उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के आर्थिक संसाधनों से प्रदेश के अभियंत्रण संस्थाओं यथा एच.बी.टी.आई., कानपुर में सिविल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग, यू.पी.टी.टी.आई., कानपुर में टेक्सटाइल टेक्नालोजी तथा एम.एम.एम.यू.टी. गोरखपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विधाओं में इनोवेशन एवं इनक्यूवेशन सेंटर्स की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। डा.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उद्योगों, शोध केन्द्रों, प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों और सम्बद्ध कालेजों का एक तंत्र तैयार करके इनोवेशन के संवर्धन में योगदान दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेल स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इनोवेशन सेल के उद्देश्य निम्नवत् होंगे—

- (क) नवीनतम तकनीकी एवं व्यावसायिक विचारों को वास्तवित उत्पाद एवं सेवाओं में परिवर्तत करने के लिये प्रोत्साहन।
- (ख) कृषि, विज्ञान, सेवाओं, तकनीक आदि जीवन की प्रत्येक आवश्यकताओं में नवीनतम अन्वेषण को प्रोत्साहित किया जाना।
- (ग) शिल्पकारों, बुनकरों, कारतकारों, मैकेनिकल, बढ़ी, कुम्हार आदि के उपयोगार्थ वैज्ञानिक नवीन अन्वेषण को प्रोत्साहित करना ताकि ऐसे उत्पाद विकसित हो सके जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक (Commercially Viable) हों।
- (घ) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन प्रयोग करना।

प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय संस्थानों तथा कुछ निजी संस्थानों को इनोवेशन हेतु फैसिलिटेटर संस्थान के रूप में चयनित किया जायेगा जिनके साथ आस-पास स्थित अभियंत्रण कालेज जोड़े जाएंगे। इन फैसिलिटेटर संस्थानों द्वारा इन कालेजों के फैकल्टी, छात्रों एवं उद्यमियों को इनोवेशन के पोषण (Nurtur) हेतु मार्गदर्शन दिया जायेगा और आवश्यकतानुसार इनोवेटर्स को उक्त चार इनोवेशन एवं इनक्यूवेशन रोटर्स में कार्य करने के लिये सम्बद्ध किया जाएगा। इनोवेशन परियोजनाओं के मूल्यांकन, वित्त पोषण, प्रभाव मूल्यांकन संबंधी कार्य विश्वविद्यालय अपने इनोवेशन सेल के माध्यम से करेगा।

प्रदेश के कुछ जिलों में शासकीय/अर्धशासकीय महाविद्यालय/पालीटेक्निक में से जिलावार एक-एक संस्था का चयन परियोजना के सफल संचालन हेतु किया जायेगा। चयनित संस्थाओं में इनोवेशन कोर ग्रुप की स्थापना की जायेगी जो असंगठित क्षेत्र के इनोवेशन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी। यदि आम व्यक्तियों द्वारा कोई सोच/विचार प्रस्तुत किया जाये तो उससे संबंधित प्रस्ताव कोर ग्रुप द्वारा तैयार किया जायेगा।

उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेल के द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित इनोवेशन सेल का समय-समय पर अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। विश्वविद्यालय स्तर पर इनोवेशन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु कार्यकारी विशेष मण्डल की स्थापना की जायेगी। जहां प्रदेश के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव को कार्य क्षेत्र से संबंधित गठित समिति के 03 विशेषज्ञों से प्रस्ताव का मूल्यांकन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। यदि प्रस्ताव में कमी दूर करते हुए समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है, तो वह प्रस्ताव परिमार्जन हेतु संबंधित इनोवेटर को इस आशय के साथ वापस किया जायेगा कि वह कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पुनः इनोवेशन सेल को सीधे प्रेषित करें। किन्तु 02 विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित सभी प्रस्तावों को

संबंधित समिति (टारक फोर्स) की मीटिंग के समक्ष रखा जायेगा जिसमें संबंधित इनोवेटर्स अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करेंगे तथा समिति आवश्यकतानुसार परीक्षण करते हुए वित्तीय सहायता की अनुशंसा करेगी।

टारक फोर्स द्वारा सभी अनुशंसित प्रस्तावों को विभिन्न मदों यथा उपकरण एवं उपस्कर, कन्जूमेबिल्स एवं मानव संसाधन के मानदेय, यात्रा भत्ता, रेगुलेशन फीस आदि के सम्यक परीक्षण के उपरान्त प्रोजेक्ट को अनुमोदन हेतु तकनीकी इनोवेशन सेल को प्रेषित किये जायेंगे। इनोवेटर के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु एक तकनीकी निदेशक नियुक्त किया जायेगा जिसके निर्देशन में इनोवेटर अपने प्रस्ताव के अनुरूप कार्य को निष्पादित करेंगे।

प्रोजेक्ट के कार्य का सम्पादन एवं अनुश्रवण निदेशक की देखरेख में सम्पादित होंगे। इनोवेटर द्वारा किये गये कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तीन से छः माह के अन्तराल में इनोवेशन सेल द्वारा गठित समीक्षा समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति के समन्वयक, इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट निदेशक एवं 02 विषय विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य होंगे। समीक्षा समिति की सम्यक अनुशंसा एवं प्रगति आख्या के आधार पर ही उपरोक्त प्रोजेक्ट हेतु इनोवेशन सेल द्वारा वित्तीय सहायता की अगली किश्त जारी की जायेगी।

प्रोजेक्ट के समापन की सीमा/या उससे पहले प्रोजेक्ट के माध्यम से विकसित उत्पाद अथवा तकनीक को इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र में प्रदर्शित किया जायेगा एवं उसके पेटेन्ट/कापी राईट प्राप्त करने की दिशा में संबंधित केन्द्र द्वारा इनोवेटर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। केन्द्र ऐसे सभी विकसित उत्पाद एवं तकनीकी को इनोवेशन एवार्ड के लिये भी नामित कर सकेंगे। इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र में विकसित उत्पाद एवं तकनीक के व्यवसायीकरण करने के लिये उस क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क स्थापित कर इस दिशा में निर्णय लेगा और बेन्चर कैपिटल में इनोवेशन एवं इनक्यूवेशन केन्द्र की सहभागिता हेतु प्रयास करेगा। यदि इनोवेटर ख्यां उत्पाद के विनिर्माण हेतु उद्योग लगाने को इच्छुक हों तो उसे रेगुलेटरी एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए केन्द्र की रायल्टी निर्धारित की जायेगी तथा केन्द्र की सहभागिता पर विचार किया जायेगा।

प्रोजेक्ट के समापन पर इनोवेटर प्रोजेक्ट प्रतिवेदन एवं वित्तीय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ समन्वयक, इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र के माध्यम से इनोवेशन सेल को प्रेषित करेगा। केन्द्र, इनोवेटर को सम्यक कार्य हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्रदेश के कुछ जिलों में शासकीय/अर्धशासकीय महाविद्यालयधालीटेक्निक में से जिलावार एक-एक संरथा का चयन परियोजना के सफल संचालन हेतु किया जायेगा। चयनित संस्थाओं में इनोवेशन कोर युप की स्थापना की जायेगी जो असंगठित क्षेत्र के इनोवेशन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी। यदि आम व्यक्तियों द्वारा कोई सोच/विचार प्रस्तुत किया जाये तो उससे संबंधित प्रस्ताव कोर युप द्वारा तैयार किया जायेगा।

उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय के इनोवेशन सेल के द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित इनोवेशन सेल का समय-समय पर अनुश्रवण किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। विश्वविद्यालय स्तर पर इनोवेशन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु कार्यकारी विशेष मण्डल की स्थापना की जायेगी। जहां प्रदेश के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव को कार्य क्षेत्र से संबंधित गठित समिति के 03 विशेषज्ञों से प्रस्ताव का मूल्यांकन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। यदि प्रस्ताव में कमी दूर करते हुए समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है, तो वह प्रस्ताव परिमार्जन हेतु संबंधित इनोवेटर को इस आशय के साथ वापस किया जायेगा कि वह कभियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पुनः इनोवेशन सेल को सीधे प्रेषित करें। किन्तु 02 विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित सभी प्रस्तावों को

संबंधित समिति (टास्क फोर्स) की मीटिंग के समक्ष रखा जायेगा जिसमें संबंधित इनोवेटर्स अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करेंगे तथा समिति आवश्यकतानुसार परीक्षण करते हुए वित्तीय सहायता की अनुशंसा करेगी।

टास्क फोर्स द्वारा सभी अनुशंसित प्रस्तावों को विभिन्न मर्दों यथा उपकरण एवं उपस्कर, कन्जूमेबिल्स एवं मानव संसाधन के मानदेय, यात्रा भत्ता, रेगुलेशन फीस आदि के सम्यक परीक्षण के उपरान्त प्रोजेक्ट को अनुमोदन हेतु तकनीकी इनोवेशन सेल को प्रेषित किये जायेंगे। इनोवेटर के कार्यों को गति प्रदान करने हेतु एक तकनीकी निदेशक नियुक्त किया जायेगा जिसके निर्देशन में इनोवेटर अपने प्रस्ताव के अनुरूप कार्य को निष्पादित करेंगे।

प्रोजेक्ट के कार्य का सम्पादन एवं अनुश्रवण निदेशक की देखरेख में सम्पादित होंगे। इनोवेटर द्वारा किये गये कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तीन से छः माह के अन्तराल में इनोवेशन सेल द्वारा गठित रामीक्षा समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति के समन्वयक, इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट निदेशक एवं 02 विषय विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य होंगे। समीक्षा समिति की सम्यक अनुशंसा एवं प्रगति आख्या के आधार पर ही उपरोक्त प्रोजेक्ट हेतु इनोवेशन सेल द्वारा वित्तीय सहायता की अगली किश्त जारी की जायेगी।

प्रोजेक्ट के समापन की सीमा/या उससे पहले प्रोजेक्ट के माध्यम से विकसित उत्पाद अथवा तकनीक को इनोवेशन एवं इक्यूवेटर केन्द्र में प्रदर्शित किया जायेगा एवं उसके पेटेन्ट/कापी राईट प्राप्त करने की दिशा

संलग्नक-4

राज्य इनोवेशन परिषद

इनोवेशन को प्रयोगशालाओं तथा फैक्ट्रियों तक सीमित न रखते हुए इन्क्लूसिव विकास प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करते हुए नये-नये उपाय/तकनीक ढूँढने को भी समिलित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य इनोवेशन परिषद निम्नवत है:-

1. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन	-	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग	-	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	सदस्य
6. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	-	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग	-	सदस्य
8. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग	-	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, हथकरघा विभाग	-	सदस्य
10. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	-	सदस्य
11. प्रमुख राचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	-	सदस्य
12. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग	-	सदस्य
13. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	-	सदस्य
14. प्रमुख सचिव, राजस्व	-	सदस्य
15. प्रमुख सचिव,	-	सदस्य
16. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	-	सदस्य

17. प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	—	सदस्य
18. डा० अनिल के. गुप्ता, उपाध्यक्ष नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन	—	सदस्य
19. कुलपति, डा.ए.पी.जे.ए.के.टी.यू., लखनऊ	—	सदस्य
20. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	—	सदस्य
21. कुलपति के.जी. चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	—	सदस्य
22. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	—	सदस्य
23— निदेशक, आई.आई.एम., लखनऊ द्वारा नामित एक फैकल्टी मेम्बर (जो कौन्सिल के कार्यो हेतु उपयुक्त समझा जाये)	—	सदस्य
24— महानिदेशक, उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबन्ध एकेडमी	—	सदस्य
25— निदेशक, आई.आई.टी. कानपुर द्वारा नामित (जिन्हें कौन्सिल के कार्यो हेतु उपयुक्त समझा जाये) एक फैकल्टी	—	सदस्य
26— निदेशक, गिरि इन्स्टीट्यूट, लखनऊ	—	सदस्य
27— निदेशक, जी.बी. पंत इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, इलाहाबाद	—	सदस्य
28— फिक्की / एसोसिएट चौम्बर के यू.पी. चौप्टर द्वारा नामित	—	सदस्य
29— नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एकेडमी (नासी) इलाहाबाद द्वारा नामित—	—	सदस्य
30— महानिदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र.	—	सदस्य
31— महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) (जहां महानिदेशक व प्रमुख सचिव एक ही व्यक्ति पद ग्रहण कर रहे हों, वहां महानिदेशक द्वारा नामित)	—	सदस्य
32— निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग।	—	सदस्य सचिव
33— मुख्य सचिव द्वारा नामित 5 गैर सरकारी सदस्य जिन्होंने विज्ञान, तकनीकी व इनोवेशन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की हो। (प्रशास यह किया जाय कि गैर सरकारी सदस्य प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें)	—	सदस्य

2. परिषद का निम्नलिखित कार्यक्षेत्र होगा-

- राज्य में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयास करना।
- राज्य इनोवेशन कोष का संचालन करना तथा इस हेतु इनोवेशन की परियोजनाओं को स्वीकृत करना,
क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं उन परियोजनाओं के प्रभावशीलता का आंगणन करवाना।
- सफल इनोवेशनधर्योगों को राज्य की नीतियों में समाविष्ट करने हेतु निर्णय लेना।
- सफल इनोवेशन को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं डा०ए०पी०जे०ए०के०टी०यू०, लखनऊ द्वारा इनोवेशन प्रस्तावों का रु०
10.00 लाख से ऊपर का अनुमोदन (रु० 10.00 लाख के नीचे के प्रस्तावों का अन्तिम निर्णय उनके द्वारा
गठित विभागीय व्यवस्था द्वारा किया जायेगा)।